

कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ शासन, राजस्व आपदा प्रबंध विभाग
--: अधिसूचना :-

दिनांक 14 जून, 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/17-18 चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित निजी भूमि एन0टी0पी0सी0तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधियिम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन:-

1. जिला-
2. तहसील-
3. नगर/ग्राम-
4. क्षेत्रफल-

रायगढ
तमनार
मौहापाली
0.513 हे0

खसरा नंबर	रकबा (हे0में)
252 / 4क	0.129 हे0
252 / 4ख	0.121 हे0
295 / 7	0.061 हे0
295 / 1ग	0.012 हे0
295 / 1ख	0.020 हे0
296 / 2	0.081 हे0
257 / 1	0.020 हे0
296 / 5	0.057 हे0
294	0.012 हे0
कुल ख0नं0- 09	कुल रकबा 0.513 हे0

5. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

6. उक्त भूमि अर्जन में किसी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ के राज्य के नाम से तथा
आदेशानुसार

(शम्मी आबिदी)

कलेक्टर, रायगढ

एवं पदेन उप सचिव छ0ग0शासन
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग